

20 मई, 2026

कार्यकारी आदेश 2026-05

इलिनॉय में लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश वृद्धावस्था के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना

जबकि, 23 अगस्त, 2024 को जारी कार्यकारी आदेश 2024-02, जिसका शीर्षक "वृद्धावस्था के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना (एमपीए) स्थापित करने का कार्यकारी आदेश" है, इलिनॉय में बढ़ती वृद्ध आबादी की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव, समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता को संबोधित करने का प्रयास करता है; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2024-02 के अनुसार, एमपीए टास्क फोर्स, एमपीए सलाहकार परिषद और मुख्य योजना अधिकारी ("प्रमुख") की स्थापना की गई थी ताकि 31 दिसंबर, 2025 तक राज्यपाल और महासभा को प्रस्तुत की जाने वाली समन्वित और कार्रवाई योग्य योजना विकसित की जा सके; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2024-02 ने एमपीए टास्क फोर्स, एमपीए सलाहकार परिषद और मुख्य योजना अधिकारी को विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय को सुदृढ़ करने और वृद्ध वयस्कों और विकलांग लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, व्यक्ति-केंद्रित सहायता के साथ आयु-अनुकूल समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक खाका विकसित करने का कार्य सौंपा था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश ने एमपीए टास्क फोर्स, एमपीए सलाहकार परिषद और मुख्य योजना अधिकारी को निम्नलिखित कार्यों की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा है: (क) आयु-संबंधी जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और उनके प्रभाव को संबोधित करना; (ख) देखभाल अवसंरचना को मजबूत करना और देखभाल करने वालों को सहायता प्रदान करना; (ग) अधिक वृद्ध व्यक्तियों को उनके घरों और समुदायों में रहने में सहायता करने के लिए दीर्घकालिक सेवाओं और सहायता की गुणवत्ता, पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना; (घ) वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करना और धोखाधड़ी और वित्तीय शोषण को रोकना; (ङ) प्रौद्योगिकी तक पहुंच का विस्तार करना और डिजिटल विभाजन को पाटना; और (च) वृद्धावस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना; और,

चूंकि, एमपीए के विकास में आवास, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक हितधारक सहभागिता शामिल थी, और इसमें इलिनॉय के सैकड़ों निवासियों को शामिल करते हुए नौ सार्वजनिक सहभागिता सत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था; और,

जबकि, 23 दिसंबर, 2025 को, एमपीए टास्क फोर्स, एमपीए सलाहकार परिषद और मुख्य योजना अधिकारी ने राज्यपाल और महासभा को इलिनॉय राज्य का एमपीए प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक है 'एंगेजिंग इलिनॉय: बेहतर जीवन जीने की व्यापक योजना (एंगेजिंग इलिनॉय); और,

जबकि, एंगेजिंग इलिनॉय इलिनॉय के काउंटी, शहर और कस्बे बच्चों के बड़े होने और बुढ़ापे में भी बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतरीन जगहें हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, और बुढ़ापे में बेहतर जीवन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार और परिवर्तन लाने की रणनीतियों का वर्णन करता है; और,

चूकि, इंगेजिंग इलिनॉय चार प्रमुख फोकस क्षेत्रों के इर्द-गिर्द संगठित है: 1) रहने योग्य और आपस में जुड़े समुदायों का निर्माण; 2) सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना; 3) देखभाल करने वालों में निवेश करना; और 4) वृद्धावस्था को वहनीय बनाना; और

चूकि, इंगेजिंग इलिनॉय ब्लूप्रिंट को लागू करने में राज्य एजेंसियों, स्थानीय सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, परोपकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी ताकि सभी लोगों को उनकी बढ़ती उम्र में सार्थक रूप से सहायता प्रदान की जा सके; और,

चूकि, इंगेजिंग इलिनॉय के कार्यान्वयन के लिए निरंतर जवाबदेही, समन्वय और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है;

अतः, मैं, जे.बी. प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, की धारा 11 द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के तहत, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

1. इंगेजिंग इलिनॉय मल्टीसेक्टर प्लान फॉर एजिंग कमीशन (EIMPAC या कमीशन) की स्थापना राज्य सरकार और उसके सहयोगी संगठनों में इंगेजिंग इलिनॉय के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन, समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए की गई है।
2. आयोग के सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे:
 - a. कार्यान्वयन में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता प्रदान करना;
 - b. योजना के फोकस क्षेत्रों के अनुरूप कार्य समूहों में भाग लेना और उनका आयोजन करना;
 - c. कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और बाधाओं और अवसरों की पहचान करना; और
 - d. मिलकर काम करना ताकि इलिनॉय राज्य अपने बुजुर्ग आबादी को उच्च गुणवत्ता वाला, सार्थक जीवन जीने में सहायता प्रदान करने और समाज के लिए सकारात्मक परिणामों को अधिकतम करने में अग्रणी बन सके।
3. इस आयोग की नियुक्ति इलिनॉय जरण विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें राज्य की भौगोलिक, नस्लीय, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता को दर्शाने वाले कम से कम दस सदस्य शामिल होंगे, साथ ही नीचे सूचीबद्ध राज्य एजेंसियों के निदेशक/सचिव या उनके नामित व्यक्ति; प्रतिनिधि सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक की नियुक्ति सदन अध्यक्ष द्वारा और दूसरे की नियुक्ति सदन के अल्पसंख्यक नेता द्वारा की जाएगी; और इलिनॉय सीनेट के दो सदस्य, जिनमें से एक की नियुक्ति सीनेट अध्यक्ष द्वारा और दूसरे की नियुक्ति सीनेट के रिपब्लिकन नेता द्वारा की जाएगी।

राज्य एजेंसियां, अधिकारी और आयोग:

- जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग)
- बाल एवं पारिवारिक सेवा विभाग
- वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग
- सुधार विभाग
- स्वास्थ्य सेवा और परिवार सेवा विभाग
- मानवाधिकार विभाग
- मानव सेवा विभाग
- बीमा विभाग
- श्रम विभाग
- लोक स्वास्थ्य विभाग
- परिवहन विभाग
- वयोवृद्ध मामलों का विभाग
- इलिनॉय कला परिषद
- इलिनॉय उच्च शिक्षा बोर्ड

- इलिनॉय कम्युनिटी कॉलेज बोर्ड
 - इलिनॉय काउंसिल ऑन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज
 - इलिनॉय बधिर & श्रवण बाधित आयोग
 - इलिनॉय संरक्षकता और वकालत आयोग
 - इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण
 - बेघर होने से रोकने और समाप्त करने के लिए कार्यालय
 - राज्य लोकपाल कार्यालय
4. इस आयोग की सह-अध्यक्षता मुख्य योजना अधिकारी और राज्य सरकार से बाहर के एक व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसे इलिनॉय जरण विभाग के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। मुख्य योजना अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे:
 - a. एंगेजिंग इलिनॉय के दैनिक कार्यान्वयन का नेतृत्व करना;
 - b. राज्य एजेंसियों और साझेदारों के बीच समन्वय स्थापित करना;
 - c. प्रदर्शन और कार्यान्वयन की प्रगति पर नज़र रखना;
 - d. 31 दिसंबर, 2026 को राज्यपाल और महासभा को पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
 - e. 31 मार्च, 2028 तक और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल और महासभा को प्रस्तुत करना।
 5. आयोग के सदस्य बिना किसी पारिश्रमिक के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
 6. आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी।
 7. इलिनॉय जरण विभाग आयोग को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा। इंगेजिंग इलिनॉय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध इलिनॉय मानव सेवा विभाग, इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग, अनुसंधान भागीदारों और निजी परोपकारी संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। मुख्य योजना अधिकारी, इंगेजिंग इलिनॉय के कार्यान्वयन में सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पहचान कर सकते हैं।
 8. आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए, वृद्धावस्था विभाग को इलिनॉय को एएआरपी "आयु-अनुकूल राज्य" के रूप में नामित करने के लिए निर्देश दिया गया है और इलिनॉय में मौजूदा स्थानीय "आयु-अनुकूल समुदायों" के प्रयासों को बढ़ावा देना जारी रखने के लिए कहा गया है।
 9. राज्य एजेंसियां मुख्य योजना अधिकारी और आयोग के साथ सहयोग करेंगी और इंगेजिंग इलिनॉय को लागू करने के लिए आवश्यक डेटा, जानकारी और कार्मिक सहायता प्रदान करेंगी।
 10. मुख्य योजना अधिकारी आवश्यकतानुसार प्रत्येक तीन वर्ष में योजना को अपडेट कर सकता है।
 11. यह आयोग 31 दिसंबर, 2036 से पहले समाप्त हो जाएगा।
 12. यह कार्यकारी आदेश किसी भी समझौते, अनुबंध, या सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध का उल्लंघन नहीं करता है, और न ही इसे उल्लंघन करने के रूप में समझा जाएगा।
 13. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त कर देता है।
 14. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या उपयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या उपयोग के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

15. यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 20 मई, 2026

राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 20 मई, 2026